जिला निर्वाचन पदाधिकारी –सह– उपायुक्त का कार्यालय, साहेबगंज।

(जिला निर्वाचन शाखा)

–: निविदा आमंत्रण सूचना :–

भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त निदेश के आलोक में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखण्ड, रांची के पत्रांक 2126/ दिनांक 29.11.2016 में विहित निदेशानुसार साहेबगंज जिले के 01– राजमहल, 02– बोरियो (अ0ज0जा0) एवं 03– ब (अ0ज0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित ERONET के तहत प्राप्त होने वाले दावा/आपत्ति आवेदनों (प्रपत्र 6,7,8 इत्यादि) के साथ संलग्न विभिन्न दस्तावेजों का स्केन क्वालिटी चैकर एवं क्यू आर कोड प्रिटिंग सॉफ्टवेयर जो भारत निर्वाचन आयोग निर्गत है, पर स्केनिंग इत्यादि कार्य ऑउट सोरिंग के माध्यम से कराया जाना है।

इस कार्य को कराने हेतु इच्छुक एजेंसियों (निविदाताओं) से दिनांक 30.12.2016 के दोपहर 12:00 बजे तक मुहरबंद अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा उसी दिन अपराहन 03:00 बजे में जिला क्रय समिति के समक्ष जिला निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय कक्ष में खोली जायेगी। कार्य की विस्तृत विवरणी जिला निर्वाचन कार्यालय, साहेबगंज में या जिला Website- Sahibganj.nic.in पर देखा जा सकता है।

इच्छुक निविदादाता दो अलग–अलग मुहरबंद लिफाफों में तकनीकि एवं वित्तीय निविदा समर्पित करेंगे।

तकनिकी निविदा में सफल होने पर ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी। निविदादाता निविदा खोलने के समक्ष स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित रह सकते है।

निविदा की शर्तें :–

1. निविदा दाता को फोटो मतदाता सूची के निर्माण से सम्बन्धित पूर्ण जानकारी होनी चाहिए तथा प्रपत्र 6, 6क, 8, एवं 8क को सभी अनुलग्नकों सहित भरने का ज्ञान होना चाहिए।
2. निविदा दाता को QR code Printing technology का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए।
3. निविदा दाता को QR code Printing technology device एवं Scanning device से संबंधित आधार भूत संरचना की उपलब्धता प्रमाण– पत्र निविदा के साथ देना होगा।
4. निविदादाता को प्रपत्र 6, 6क, 7, 8, 8क के डाटा इन्ट्री का अनुभव प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
5. निविदादाता को केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं किये जाने संबंधी शपथ पत्र देना होगा।
6. तकनिकी निविदा के साथ उप निर्वाचन पदाधिकारी, साहेबगंज के पदनाम से भुगतेय रूपये 10,000 (दस हजार) रु0 का बैंक ड्राफ्ट प्रतिभूति की राशि के रूप में जमा करना होगा।
7. निविदादाता को विगत तीन वर्षो (2013–2014, 2014–2015 एवं 2015–2016) तक का आयकर रिटर्न समर्पित करना होगा।
8. निविदादाता को Commercial Tax एवं Service Tax पंजीकृत एवं अद्यतन संबंधी पत्र प्रस्तुत करना होगा।
9. निर्वाचन कार्य एवं इस तरह के कार्यो को करने वाले निविदादाता को अनुभव के आधार पर प्राथमिकता दी जायेगी।
10. निविदादाता को जिलें में एक प्रतिनिधि को स्थायी रूप से रखना होगा, जो जिला सभी निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी से समन्वय स्थापित करेंगे। इस आशय का Undertaking निविदा के साथ देना होगा।
11. कार्य का सत्यापन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से कराने के पश्चात ही कार्य के विरूद्ध विपत्र का भुगतान किया जायेगा।
12. इस कार्य के लिये किसी प्रकार की अग्रिम राशि का भुगतान देय नहीं होगा।
13. निविदादाता को निर्धारित समयावधि में कार्य संपादित करना होगा।
14. निविदा के संबंध में बगैर कोई कारण बताए निविदा को रद्द करने संशोधन करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा।
15. कार्य से संबंधित सभी उपकरण यथा कम्प्यूटर, स्केनर, प्रिंटर इत्यादि को व्यवस्था निविदादाता को करना होगा।

वित्तीय निविदा में निम्नलिखित कार्यो का दर (सभी कर सहित) निम्नानुसार दिया जायेगा।

कार्य का प्रकार	दर अंकों में	दर अक्षरों में
2	3	4
प्रपत्र– 6 से संबंधित सभी डेटा स्केनिंग क्यू0 आर0 कोड करेक्शन स्केन क्वालिटी चेक इत्यादि कार्य	प्रति प्रपत्र	दर प्रति
प्रपत्र–7 से संबंधित सभी डेटा स्केनिंग क्यू0आर0कोड करेक्शन स्केन क्वालिटी चेक इत्यादि कार्य		
प्रपत्र–8 से संबंधित सभी डेटा स्केनिंग क्यू0आर0कोड करेक्शन स्केन क्वालिटी चेक इत्यादि कार्य		
प्रपत्र– 8क से संबंधित सभी डेटा स्केनिंग क्यू0आर0 कोड करेक्शन स्केन क्वालिटी चेक इत्यादि कार्य		

उप निर्वाचन पदाधिकारी, साहेबगंज 22/12/16

अपर समाहर्त्ता, साहेबगंज

22/12/16
जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–
उपायुक्त, साहेबगंज